

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 14th September, 2006

No. G. S. R. 28/Const./Art. 309/2006.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following Rules further to amend the Haryana Excise and Taxation Commissioner's Office (Group-B) Service Rules, 1987, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Commissioner's Office (Group-B) Service (Amendment) Rules, 2006.

2. In the Haryana Excise and Taxation Commissioner's Office (Group-B) Service Rules, 1987 (hereinafter called the said Rules), in Rule 9, in Sub-Rule (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

“(c) in the case of Private Secretary—

(i) by promotion from amongst Personal Assistants; or

(ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.”.

3. In the said Rules, for Appendix A, the following Appendix shall be substituted, namely:—

“APPENDIX A

(See Rule 3)

Sr. number	Designation of posts	Number of posts			Scale of Pay
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Establishment Officer	1	—	1	Rs. 6500-200-8500- EB-200-10500
2.	Superintendent	6	2	8	Rs. 6500-200-8500- EB-200-10500
3.	Private Secretary	—	1	1	Rs. 6500-200-8500- EB-200-10500.”.

भाग-III

हरियाणा सरकार

आबकारी व कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 सितम्बर, 2006

संख्या सा०का०नि० 28/संवि०/अनु० 309/2006.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ख) सेवा नियम, 1987, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2006, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा आबकारी तथा कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप-ख) सेवा नियम, 1987 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है), में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(ग) निजी सचिव की दशा में,—

(i) निजी सहायक में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।”।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट “क” के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	स्थापना अधिकारी	1	—	1	6500-200-8500-दक्षतारोध- 200-10500 रुपये
2.	अधीक्षक	6	2	8	6500-200-8500-दक्षतारोध- 200-10500 रुपये
3.	निजी सचिव	—	1	1	6500-200-8500-दक्षतारोध- 200-10500 रुपये ।”।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4
“3	निजी सचिव	—	पदोन्नति द्वारा निजी सहायक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक जो निजी सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो।”।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ग तथा घ में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2
“3	निजी सचिव।”।

एल०एस०एम० सालिन्स,
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।